

कार्यालय: जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरु

क्रमांक: 1(जी) (1) स्था0/2018/114


दिनांक: 23.05.2018

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 63 दिनांक 12.04.2014 द्वारा The sexual harassment of women at workplace की शिकायत के संबंध में चूरु मुख्यालय पर Internal Complaints Committee का गठन किया गया था।

उक्त आदेश में संशोधन करते हुये माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्र क्रमांक Gen/XIX/Misc/2002/609 दिनांक 18.05.2018 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Writ Petition Criminal No. 113/2018 Afshan Pracha Vs. Union of India & Ors. में पारित आदेश दिनांक 11.05.2018 में दिये गये निर्देशानुसार उक्त Internal Complaints Committee का पुर्नगठन तुरन्त प्रभाव से निम्नांकित प्रकार किया जाता है।

- (1) श्री रामचरण मीणा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरु -अध्यक्ष
- (2) श्रीमती महेश्वरी बरोड़, न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरु -सदस्य
- (3) श्रीमती प्रतिभा शर्मा, सहायक अभियोजन अधिकारी -सदस्य
- (4) श्री धनवीरसिंह, न्यायालय प्रबन्धक, डीजे कोर्ट, चूरु -सदस्य



जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
चूरु (राज0)

दिनांक: 23.05.2018

क्रमांक: एफ.15(2) स्था0/2003/2852-59

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. श्री रामचरण मीणा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरु को इस निर्देश के साथ कि पीड़ित महिला की शिकायत प्राप्त होने पर रजिस्टर में इन्ट्राज कर तुरन्त इस कार्यालय को अवगत करावें एवं इस संबंध में पत्रावली अलग से संधारित की जावें।
2. श्रीमती महेश्वरी बरोड़, न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरु
3. श्रीमती प्रतिभा शर्मा, सहायक अभियोजन अधिकारी, चूरु
4. श्री धनवीरसिंह, न्यायालय प्रबन्धक आदालत हाजा
5. न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, चूरु
6. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरु
7. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरु
8. न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरु


जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
चूरु (राज0)